LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings) Wednesday, 04 April 2018 / 14 Chaitra 1940 (Saka)

No. 77 02.11 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

 2.11 PM The Chair stated that he was not taking up any other matter other than those listed in the List of Business and drew the attention of the Members towards Rule-291 and Rule-293 of the Rules of Procedure which provided that the decision of the Speaker in these matters was final and should not be questioned.

Members of the Ruling Party came into the well of the House and raised slogans against the derogatory words used by Shri Manjinder Singh Sirsa, Member of BJP during the proceeding of House on 03 April 2018 and sought his apology.

Pandemonium in the House.

- 2. 2.19 PM The Chair adjourned the House upto 2.45 PM due to continuous disturbance in the proceedings.
- 3. 2.51 PM House reassembled.

Hon'ble Speaker in-Chair.

- 4. 2.51 PM Pandemonium prevailed.
- 5. 3.03 PM The Chair adjourned the House for 15 Minutes due to continuous disturbance in the proceedings.
- 6. 3.19 PM House reassembled.

Hon'ble Speaker in-Chair.

7. 3.21 PM Shri Manjinder Singh Sirsa, Member of BJP stated that he apologised for his words in case it had hurt the sentiments of any member or person.

Hon'ble Speaker directed that certain words used during the discussion on 03 April 2018 while Shri Manjinder Singh Sirsa, Member of BJP was speaking be expunged from the records.

8. 3.21 PM Special Mention(Rule-280):

Hon'ble Speaker directed that the matters raised by following Members under Rule-280 be treated as read:

- 1. Shri Jarnail Singh
- 2. Shri Som Dutt
- 3. Shri Sahi Ram
- 4. Shri Vijender Gupta
- 5. Shri Rajesh Gupta
- 6. Shri Sukhbir Singh Dalal

- 7. Ms. Alka Lamba
- 8. Shri Praveen Kumar
- 9. Shri Om Prakash Sharma
- 10. Shri Manjinder Singh Sirsa
- 11. Shri Gulab Singh
- 12. Shri Shri Dutt Sharma

9. 3.22 PM Calling Attention (Rule-54):

Discussion on the following Calling Attention moved by Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker on 03 April 2018 continued:

'Hardships being faced by the 'Safai Karamcharis' of MCDs due to non-regularization of their services and lack of other basic facilities'.

The following Members participated in the discussion:

- 4. Smt. Bandana Kumari
- 5. Shri Pankaj Pushkar
- 6. Shri Nitin Tyagi

- 7. Shri Vishesh Ravi
- 8. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition

Shri Arvind Kerjiwal, Hon'ble Chief Minister replied.

Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker moved the following Resolution with the leave of the House:

"In its sitting held on 04 April 2018:

This House directs the three Municipal Corporations of Delhi to immediately regularize the services of the temporary safai karamcharis;

This House also expresses its concern for the health of the workers who are on an indefinite fast and appeals them to withdraw their fast;

This House firmly supports all of their demands."

The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote.

- 10. 4.30 PM Presentation of Outcome Report of Office of Hon'ble Lieutenant Governor:

 Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister presented the Outcome Report of the Office of Hon'ble Lieutenant Governor.
- 11. 6.01 PM Members of the Ruling Party entered in the well of the House carrying banners and shouting slogans.

 Pandemonium in the House.
- 12. 6.03 PM The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Thursday, 05 April 2018 due to continuous disturbance in the proceedings.

Delhi C. Velmurugan 94 April, 2018 Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख) बुधवार, 04 अप्रैल, 2018/14 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या-77 2.11 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

- अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे कार्यसूची में सूचीबद्ध मामलों के अलावा अन्य किसी भी मामले को विचारार्थ नहीं लेंगे तथा 2.11 बजे उन्होंने सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम-291 तथा नियम-293 की तरफ दिलाया, जिनमें प्रावधान है कि इन मामलों मे अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उस पर आपत्ति नहीं की जाती। सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गये और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को सदन की कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त अनादरपूर्ण शब्दों के विरूद्ध नारेबाजी करने लगे और उनसे क्षमा याचना करने की मांग करने लगे। सदन में शोर-शराबा।
- कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 2.45 बजे तक के लिए स्थगित की। 2.19 बजे 2.
- 2.51 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। 3. अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- शोर-शराबा जारी रहा। 2.51 बजे 4.
- कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की। 3.03 बजे 5.
- 3.19 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। 6. अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी सदस्य या व्यक्ति की 3.20 बजे 7. भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए क्षमा मांगते हैं। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा के भाषण के दौरान प्रयुक्त कुछ शब्दों को रिकार्ड से निकाला जाये।
- 3.21 बजे 8. विशेष उल्लेख (नियम-280) :

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम–280 के तहत उठाये जाने वाले मामलों को पढ़ा हुआ माना जाये:-

- श्री जनरैल सिंह 1.
- श्री सोम दत्त
- श्री सही राम
- श्री विजेन्द्र गुप्ता
- श्री राजेश गुप्ता
- श्री सुखबीर सिंह दलाल

- 7. सुश्री अलका लाम्बा
- 8. श्री प्रवीण कुमार
- 9. श्री ओमप्रकाश शर्मा
- 10. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
- 11. श्री गुलाब सिंह
- 12. श्री श्रीदत्त शर्मा

3.22 बजे **ध्यानाकर्षण (नियम-54)** :

सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित ध्यानाकर्षण पर चर्चा जारी

"दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित न होने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण उनको हो रही कठिनाईयों"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

- 4. श्रीमती बंदना कुमारी
- 5. श्री पंकज पुष्कर
- 6. श्री नितिन त्यागी
- 7. श्री विशेष रवि
- 8. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया।

सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की अनुमित से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कियाः

''दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को आयोजित बैटक में:

यह सदन दिल्ली के तीनों नगर निगमों को अस्थायी सफाई कर्मचारियों की सेवायें तत्काल नियमित करने का निर्देश

यह सदन उन कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता व्यक्त करता है, जो अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं और उनसे अनशन समाप्त करने की अपील करता है.

यह सदन उनकी सभी मांगों का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है।" संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

- 10. 4.31 बजे माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण : श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री, ने माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 11. 6.01 बजे सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में बैनर लेकर आ गये तथा नारेबाजी करने लगे। सदन में शोर-शराबा।
- 12. 6.03 बजे कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही वीरवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली 04 अप्रैल, 2018 सी. वेलमुरूगन सचिव